



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष, 1944 (श०)

संख्या - 20 राँची, मंगलवार, 17 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-9/2021-17972 (HRMS)--श्री रविरंजन कुमार विक्रम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-696/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची के विरुद्ध कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-4799, दिनांक 25.09.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा Cr. M.P.No- 163/2013 में दिनांक 19.08.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-256(ii)/स्था०, दिनांक 20.02.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री विक्रम के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप-

(i) गुडुवा उराँव, 2. छेदिया उराँव, 3. सहदेव उराँव, पिता- स्व० बड़का बुधवा उराँव वो 4. मोहन उराँव, 5. सुरज उराँव, दोनों के पिता- स्व० रतनु उराँव वो 6. दामी उराईन, पति छेदिया उराँव, 7. धीरज उराँव, 8. किनुवा उराँव, दोनों के पिता- स्व० छेदिया उराँव, वो 9. सुनीता मिंज, पति- सहदेव उराँव, जाति- उराँव, निवासी ग्राम- मनी टोला, डोरण्डा, थाना- डोरण्डा, जिला- राँची ने मौजा- हिनु, थाना सं०-225, खाता सं०-148, प्लॉट सं०-1502, रकबा-22 कट्ठा भूमि क्रेता

श्रीमती मेनन एक्का, पति- श्री एनोस एक्का, जाति- उराँव, निवासी ग्राम- डोरण्डा हाई कोर्ट, थाना- डोरण्डा, जिला- राँची के साथ मकान बनाने एवं अन्य कार्य के लिए बिक्री करना चाहते हैं। अतः उनके द्वारा CNT Act की धारा-46 के तहत जमीन बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। उक्त आवेदन पत्र न्यायालय लगान वाद उप समाहर्ता, राँची के न्यायालय में परमीशन वाद सं०-1996 R8II/2005-06 द्वारा पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, श्री रवि रंजन कुमार विक्रम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई। जाँच प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनु०ज०जा० समुदाय के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल ने आवेदित भूमि की बिक्री करने हेतु अनुशंसा भी की है। उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर क्रेता श्रीमती मेनन एक्का, पति- श्री एनोस एक्का के साथ आवेदकों को स्थानीय बजार दर से प्रस्तावित भूमि को बेचने हेतु आदेश दिनांक 20.05.2006 से अनुमति प्रदान की गई है। Cr. M.P.No- 163/2013 के आधार पर क्रेता थाना डोरण्डा के निवासी नहीं है। श्री रवि रंजन कुमार विक्रम के उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लगानवाद उप समाहर्ता, राँची द्वारा आवेदकों के साथ भूमि बेचने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार यह CNT Act की धारा-46 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके लिए श्री विक्रम उत्तरदायी है।

(ii) श्री रवि रंजन कुमार विक्रम, तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची का उक्त आचरण प्रथम दृष्ट्या पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1),(i)(ii)) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1892, दिनांक 24.03.2021 द्वारा श्री विक्रम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में उनके पत्र, दिनांक 06.08.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री विक्रम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8041, दिनांक 23.11.2021 द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1645(ii)/स्था०, दिनांक 06.12.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री विक्रम से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संकल्प सं०-2197(hrms), दिनांक 24.02.2022 द्वारा श्री विक्रम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-37, दिनांक 21.07.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है।

श्री विक्रम के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप प्रमाणित नहीं किया गया है। उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि CBI द्वारा CNT Act की धारा 46 के उल्लंघन से संबंधित जिन सभी आरोपों को लगाया गया था एवं विशेष न्यायाधीश CBI के द्वारा संज्ञान लिया गया था, उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, आरोपी पदाधिकारी द्वारा दायर Cr. M.P.No- 163/2013 को निष्पादित करते हुए सभी आरोपों से मुक्त किया जा चुका है। आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके विरुद्ध मात्र उसी बिन्दु को आरोप बनाया गया है, जो CBI द्वारा दर्ज वाद की विषयवस्तु है। उक्त के अतिरिक्त अन्य तथ्य या बिन्दु को आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया है।

समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित मंतव्य/प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री रवि रंजन कुमार विक्रम, झांप्रंसे० (कोटि क्रमांक-696/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची, संप्रति अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची (अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नत) को आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAVI RANJAN KR VIKRAM BHR/BAS/3137	श्री रवि रंजन कुमार विक्रम, झांप्रंसे० (कोटि क्रमांक-696/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची, संप्रति अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची (अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नत) को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री रवि रंजन कुमार विक्रम, झांप्रंसे० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
